(4) अपनी पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय सुरक्षा को संकट में डाले बिना अपने विकास संबंधी लक्ष्य प्राप्त करना; और

(5) न्यायसंगत, बहुलवादों, धर्मनिरपेक्ष और समावेशी विकास के ढांचे के भीतर अपनी आंतरिक और बाहरी सुरंक्षा की गारंटी देना।

महोदया, ये पांच चुनौतियां हैं जिनका सामना शेष ढाई वर्षों में हमारी सरकार को करना है।

जहां तक अर्थव्यवस्था का प्रश्न है तो मेरे सहयोगी, माननीय वित्त मंत्री जी में आर्थिक सर्वेक्षण सभा पटल पर रख दिया है और आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था की स्थिति का व्यापक लेखाजोखा पेश करता है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में हमारे सामने उपस्थिति चुनौतियों का भी जिक्र किया है। महोदया, इन सब विषयों पर अगले सप्ताह सामान्य बजट के दौरान विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसलिए, मैं देश की अथव्यवस्था पर विचार करते हुए संक्षेप में बात करूंगा।

मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे है जहां सभी देशों के हालात अत्यंत कठिन हैं। वर्ष 2011-12 सभी देशों के लिए मुश्किलों भरा रहा हैं। हर जगह वैश्विक विकास में कमी आई है। 2011 में औद्योगिक देशों की वृद्धि दर केवल 1.6 प्रतिशत रही। जो कि पूर्व वर्ष की दर से आधी हैं। वर्तमान समय में अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अनिश्चितता के के दौर से गुजर रही है। उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम एशिया में घटनाओं से हाइड्रोजन के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई जिससे अन्य चीजों के साथ-साथ उर्वरकों और खाद्यान्नों के मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और इसने हमारे भुगतान संतुलन पर भी दबाव डाला है।

महोदय, इस पृष्ठभूमि, में हमारी आर्थिक वृद्धि दर सात प्रतिशत रही है जो यद्यपि हमारी आशा से धीमी थी परन्तु इसे प्रशंसनीय माना जाना चाहिए। निश्चय ही, हम इसे स्वीकार्य नहीं मान सकते। हमें अगले वर्ष इसे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए और यथासंभव उच्च विकास मार्ग पर लौटना चाहिए और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हम उचित मूल्यों में स्थिरता लाने के साथ साथ समावेशी विकास के अपने उद्देश्य को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। महोदय, इसके लिए हमें इस सम्माननीय सभा में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी राजनैतिक वर्गों की राय को शामिल करते हुए एक व्यापक राष्ट्रीय सहमति बनाने की जरूरत है यह एक ऐसा अवसर है जब हमें संकीर्ण राजनीति से ऊपर उठना चाहिए और एक राष्ट्र के रूप मे एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए।

महोदया, 2008 से पहले पांच वर्षों तक इसने 9 प्रतिशत की दर से विकास किया और मैं मानता हूं कि हम विकास दर को पुन: प्राप्त कर सकते हैं बशर्ते कि अनेक कठिन फैसलों पर हम सहमति बना सके। यदि हम उस उद्देश्य में सफल होते हैं तो हम सुनिश्चित करेंगे कि एक आर्थिक शक्ति के रूप में भारत विकसित होता रहे और हम अपने देश से गरीबी कम करने की आर्थिक क्षमता हासिल कर सकें तथा स्वास्थ्य; शिक्षा, कौशल विकास और स्वच्छ पेयजल तथा स्वच्छता की व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विद्यमान अंतर को दूर कर सकें। श्री जसवंत सिंह ने पेयजल आपूर्ति की समस्या का जिक्र किया था। मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि देश के सभी नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना हमारी सरकार की उच्च प्राथमिकता है...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)...**

डॉ. मनमोहन सिंह: महोदया, अनेक सदस्यों ने हमारे समाज के कमजोर वर्गों की समस्याओं का जिक्र किया हैं और मैं उनसे सहमत हूं कि हमें विशेषरूप से असंतुलित विकास जिसको हमारी आबादी के कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और अन्य वंचित समूहों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मैं माननीय सदस्यों को भरोसा दिलाता हूं कि हम इस महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान देंगे...*(व्यवधान)*

महोदया, बारहवीं पंचवर्षीय योजना, जिसे इस वर्ष के मध्य में राष्ट्रीय विकास परिषद (एन.डी.सी.) को प्रस्तुत किया जाएगा, आर्थिक तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास के लिए विश्वसनीय कार्य-योजना निर्धारित करेगी। मैं विस्तार

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[डॉ. मनमोहन सिंह]

में नहीं जाना चाहता परन्तु माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारा मार्ग सरल नहीं है।

मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस बात को भी समझेंगे कि हम जो कठिन फैसले लेते हैं वे इस तथ्य से और भी कठिन हो जाते है कि हमारी गठबंधन की सरकार है और हमें आम सहमति कायम रखने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए नीति तैयार करनी होगी। वह रेल बजट प्रस्तुत करने के बाद घटनाक्रम से इस प्रकार की चुनौतियां स्पष्ट रूप से सामने आती है। मैं इस मौके पर माननीय सदस्यों को नवीनतम स्थिति की जानकारी दे रहा हूं। महोदय, मुझे पिछली देर रात्रि में भी दिनेश त्रिवेदी से एक ई-मेल संदेश और उसके बाद एक औपचारिक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने रेल मंत्री के तौर पर अपना त्यागपत्र दिया हैं।

मैं, श्री त्रिवेदी का त्यागपत्र स्वीकार कर लेने की सिफारिश के साथ इस पत्र को राष्ट्रपति जी को अग्रेसित कर रहा हूं। मुझे श्री त्रिवेदी के जाने पर खेद है। उन्होंने ऐसा रेल बजट पेश किया था जिसमें उनके पूर्ववर्ती रेल मंत्री द्वारा तैयार किए गए विजन 2020 को पूरा करने की प्रतिबद्धता दिखाई गई थी। जल्दी ही नए रेल मंत्री को शपथ दिलाई जाएगी। उनके पास हमारी रेल व्यवस्था को आधुनिकीकरण जैसा चुनौतीपूर्ण कार्य आगे बढ़ाने की दायित्व होगा।

अध्यक्ष महोदया, हमारे जैसे विशाल और जटिल देश में और जहां हमारे देश के किसान श्रम-बल का 65 प्रतिशत हिस्सा हैं, यह अवश्यंभावी है कि संसद और सरकार को भारत में कृषि की स्थति के बारे में चिंता हो। माननीय सदस्यों के साथ साथ मंत्री द्वारा किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं के प्रति दुःख व्यक्त करता हूं।

मैं सभा को आश्वस्त करता हूं कि हम एक नये जोश के साथ यह सुनिश्चित करेंमे का प्रयास करेंमे कि हमारे देश के किसी भी किसान को आत्महत्या जैसा गंभीर गदम उठाने के लिए मजबूर न होना पड़े।

हमारी सरकार ने कृषि के विकास, कृषि में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि कृषि में प्रौद्योगिकी विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए, उच्च प्राथमिकता देती है। इसी का परिणाम है कि विगत पांच वर्षों के दौरान कृषि उत्पादन की विकास दर तीन प्रतिशत से 3.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक ऊंची रही। इस वर्ष 250 मिलियन टन खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन प्राप्त होने की संभावना है।

पिछले वर्ष, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन और खाद्य सुरक्षा मिशन ने कृषि के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में भरपूर योगदान दिया है। किंतु मैं यह नहीं कहूंगा कि और कुछ नहीं किया जा सकता। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में हम कृषि के विकास पर और ध्यान देंगे क्योंकि किसानों का हित हमारी सरकार के लिए सर्वोपरि है। यह हमारी प्राथमिकता होगी जिस पर हम पूरी मेहनत से कार्य करेंगे।

महोदय, देश में कीमतों की स्थिति का भी जिक्र किया गया था। मैं यह स्वीकार करता हूं कि पिछले दो वर्षों में कीमतों की वृद्धि एक समस्या बन गई है। सौभाग्य से ऐसे संकेत हैं कि कीमतें नियंत्रण में आ रही हैं परन्तु हमें सतर्क रहना पड़ेगा। इसी संदर्भ में वित्त मंत्री जी के वित्तीय घाटा नियंत्रित करने के प्रयास बहुत महत्वपूर्ण हैं। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यस्था में आ रहे बदलावों के कारण वर्ष 2008-09 में हमारा वित्तीय घाटा बढ़ गया था किंतु हमें आशा थी कि वर्ष 2011-12 में वित्तीय घाटे को कम करके उचित स्तर तक वापस ले आयेंगे। वित्त मंत्री में उस वर्ष के लिए 4.8 प्रतिशत के वित्तीय घाटे का अनुमान लगाया था। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वित्तीय घाटा 5.9 प्रतिशत तक ऊपर जा सकता है। वित्त मंत्री जी ने हमारी सरकार से अगले वर्ष तक वित्तीय घाटे को कम करके 5.1 प्रतिशत तक लाने का वायदा किया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वित्त मंत्री जी वित्तीय घाटे को नियंत्रित करने में सफल रहे है, वह भुगतान संतुलन के घाटे को भी यथोचित स्तर तक नियंत्रित करने में सफल रहे है क्योंकि मूल स्थिरता के साथ विकास के साथ-साथ मूल्यों में यथोचित स्थिरता लाना अनिवार्य है।

चूंकि इन सभी मुद्दों पर बजट के दौरान विस्तार से चर्चा की जाएगी अत: मैं इन मुद्दों को अधिक नहीं लगाऊंगा। तथापि, कुछ ऐसे मामले हैं जिनका मैं उल्लेख करना चाहूंगा और इनमें से एक राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केन्द्र (एन.सी.टी.सी.) की स्थापना से संबंधित है। एन.सी.टी.सी. से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हुए श्री राजनाथ सिंह जी ने आतंकवाद की समस्या से निपटने में हमारी सरकार की ईमानदारी पर सवाल उठाये थे।

महोदया, आतंकवाद से निपटना और प्रभावपूर्ण ढंग से बामपंथी उग्रवाद से निपटना ये दो प्रमुख चुनौतियां है जो आज देश में विकास के लक्ष्यों विशेषकर मध्य भारत के क्षेत्रों में विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधक हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सिहाट, झारखंड राज्य बामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं। यदि हमें अपने विकास के लक्ष्य प्राप्त करने हैं तो वामपंथी उग्रवाद और आतंकवाद पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है।

महोदया, मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि हमारी सरकार अपने नागरिकों को पूर्णतया सुरक्षित जीवन दशाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और यह आतंकवाद के संकट से निपटने के लिए हर संभव कदम उठायेगी। वास्तव में एन.सी.टी.सी. की स्थापना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह चिंता व्यकत की जा रही है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करने की कोशिश कर रही है और यह सुझाव दिया गया है कि इससे पूर्व की एन.सी.टी.सी. कार्य करना शुरू करे राज्य सरकारों को विश्वास में लिया जाना चाहिए। सबसे पूर्व सरकार द्वारा नियुक्त मंत्री समूह की रिपोर्ट और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें प्रस्तुत की गई है तब से एन.सी.टी.सी. की स्थापना के प्रश्न पर विभिन्न यंत्रों पर विचार विमर्श किया गया है। 2001 में पहले से एक मल्टी-एजेंसी सेंटर एन.सी.टी.सी. की स्थापना भी की गई थी और मुख्यमंत्रियों की आंतरिक सुरक्षा संबंधी इसकी बैठकों में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए परस्पर समन्वय बनाने के लिए सकेंद्रित और प्रभावी विचार-विमर्श की आवश्यकता पर चर्चा की गई। जैसा कि कुछ सदस्यों द्वारा बताया गया है कि आदेश जारी होने के पश्चात अनेक मुख्य मंत्रियों ने चिंता व्यक्त की थी और मैंने उन्हें जवाब दिया है कि अगला कदम उठाने से पूर्व उनसे परामर्श किया जाएगा।

12 मार्च, 2012 को विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों एवं पुलिस महानिदेशकों के साथ परामर्श किया गया था। आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों की बैठक पहले 15 फरवरी 2012 को होनी थी लेकिन चुनावों के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। यह अब 16 अप्रैल 2012 को होनी है। इसलिए अगली कार्यवाही करने से पहले उचित और व्यापक परामर्श किया जाएगा।

महोदया, मेरे विचार से एन.सी.टी.सी. की संकल्पना और एन.सी.टी.सी. का कार्यकरण दो अलग मुद्दे हैं। इस बात पर सभी सहमत हैं कि एन.सी.टी.सी. की संकल्पना निरपवाद है। और एन.सी.टी.सी. के कार्यकरण के संबंध में मतभेद हो सकते है लेकिन मुझे विश्वास है कि विचार विमर्श और बातचीत के द्वारा इन मतभेदों को सुलझाया जा सकता है और सहमति बनाई जा सकती है। इस दिशा में यह हमारा पूरी ईमानदारी से किया गया प्रयास होगा।

महोदया, चर्चा के दौरान उठाया गया दूसरा मुद्दा श्रीलंकाई तमिलों की स्थिति से संबंधित है। कुछ सदस्यों ने श्रीलंका की स्थिति के संबंध में चिन्ता जताई है। श्रीलंकाई तमिलों के कल्याण के संबंध में माननीय सदस्यों की चिन्ताओं और भावनाओं से केन्द्र सरकार पूर्णत: सहमत है। श्रीलंका में संघर्ष समाप्ति के बाद से हमारा ध्यान लगातार श्रीलंका के तमिल नागरिकों के कल्याण पर केंद्रित है। उनका पुनर्वास और पुनर्स्थापन हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

14 मार्च को दिये गये विदेश मंत्री के स्वप्रेरित वक्तव्य में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में उठाये गये कदमों को रेखांकित किया गया है। श्रीलंका सरकार के साथ हमारे रचनात्मक समझौतों और हमारे वृहद कार्यक्रमों सहायता के परिणाम स्वरूप श्रीलंका के तमिल क्षेत्रों में स्थिति सामान्य नही है। श्रीलंका सरकार द्वारा आपातकालीन प्रावधानों के हटाने और श्रीलंका के उत्तरी प्रान्तों में स्थानीय निकायों के चुनाव कराने से भी स्थिति में सुधार हुआ है। सदस्यों ने श्रीलंका में दीर्घकालिक संघर्ष के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन और जेनेवा में चल रहे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 19वें सत्र में अमरीका द्वारा श्रीलंका में समाधान और उत्तरदायित्व के संबंध में प्रस्तुत किये गये प्रारूप प्रस्ताव संबंधी मुद्दे भी उठाए है। भारत सरकार ने श्रीलंका सरकार द्वारा तमिल समुदाय की शिकायतों के निवारण के लिए सुलह की यथोचित प्रक्रिया के अपनाए जाने पर बल दिया है। इस संबंध में हमने श्रीलंका सरकार द्वारा नियुक्त आयोग की रिपोर्ट, जो कि श्रीलंकाई संसद के समक्ष रखी गयी हैं, में निहित सिफारिशों को लागू करने का आह्वान किया हैं। इनमें संघर्ष के दौरान पैदा हुए घावों को भरने तथा श्रीलंका में स्थायी शान्ति और सुलह की प्रक्रिया को कायम रखने के लिए बहुत से रचनात्मक उपाय शामिल किये गये हैं।

हमने श्रीलंकाई सरकार को कहा है कि वह श्रीलंकाई संविधान के 13वें संशोधन को पूरी तरह लागू करने के लिए तमिल राष्ट्रीय गठबंधन सहित सभी दलों के साथ

[डॉ. मनमोहन सिंह]

व्यापक चर्चा के माध्यम से राजनीतिक प्रक्रिया आरम्भ करने की अपनी वचनबद्धता का पालन करे ताकि सत्ता का उचित हस्तांतरण हो सके और समस्या का सही राष्ट्रीय समाधान किया जा सके। हम आशा करते हैं कि श्रीलंकाई सरकार इस मुद्दे की संवेदनशीलता को समझते हुए इस संबंध में स्पष्टता निर्णायक और दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाएगी। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम उनके संपर्क में रहेंगे और उन्हें श्रीलेकाई तमिलों के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ वार्ता आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते रहेंगे।

जहां तक जेनेवा में चल रहे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 19वें सत्र में अमेरिका द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रारूप प्रस्ताव का संबंध हैं, हमें अभी तक संकल्प का पाठ प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी, मैं सभा को अंतिम विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने के पक्षधर है। हमें आशा है कि इसमें हम श्रीलंका में तमिल समुदाय का भविष्य सुरक्षित करने उन्हें वहां समानता गौरव और न्याय प्रदान कराने तथा उनके आत्मसम्मान की रक्षा करने के अपने उद्देश्य को पूरा कर पायेंगे।

डॉ. एम. ताम्बिदुरई (करूर): क्या आप प्रस्ताव का समर्थन करने वाले हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया जारी रखें। कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदया: कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)...**

डॉ. मनमोहन सिंह: महोदया, श्री जसवंत सिंह जी ने गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन का मुद्दा उठाया है। मैं इस सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इमने इस कठिन समस्या के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है इस परिणाम तक पहुंचने के लिए हम पश्चिम बंगाल सरकार के योगदान की सराहना करते हैं। मैं सदन को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जो भी मुद्दे छूट गये है उनमें और स्थायी समाधान के लिए हम उसी रचनात्मक भावना के साथ काम करेंगे।

महोदया, मैं इस सभा का और अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं एक बार पुन: अपनी ओर से तथा सभी सदस्यों की ओर से महामहिम राष्ट्रपति जी को उनके ज्ञानवर्धक अभिभाषण के लिये धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा अब पूरी हो गयी है। इससे पहले कि मैं धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधनों को सभा के समक्ष मतदान के लिये रखूं, मैं यह सूचित करना चाहती हूं कि सदस्यों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के क्रम संख्या को दर्शाने वाली पर्चियां श्रीमती सुषमा स्वराज, सर्वश्री भर्तृहरि महताब, शैलेन्द्र कुमार, अर्जुन चरण सेठी, गणेश सिंह, राजू शेट्टी, गुरुदास दासगुप्ता, बसुदेव आचार्य, डॉ. रामचन्द्र डोम और श्री शेख सैदुल हक द्वारा सभा पटल पर रख दी गयी थी। क्योंकि इस बारे में एक घोषणा 14 मार्च, 2012 को ही कर दी गई थी।

मुझे यह भी सूचित करना है कि संशोधन संख्या 1165 की पर्ची सर्वश्री गुरुदास दास गुप्ता और अर्जुन चरण सेठी एवं संशोधन संख्या 1279 के लिए श्री बसुदेव आचार्य, डॉ. रामचन्द्र डोम और श्री शेख, सैदुल हक द्वारा पटल पर रखी गयी थीं। संशोधन संख्या 1165 एवं 1279 एक जैसे हैं। सामान्यत: एक जैसे संशोधनों के संबंध मैं सूचना देने वाले सदस्यों के नाम मुद्रित सूची में सूचना प्राप्ति की तारीख और समय के अनुसार एक साथ रखे दिये जाते हैं। किन्तु समय के अभाव में ऐसा नहीं किया जा सका। यदि नामों को एक साथ रखा जाता तो श्री बसुदेव आचार्य का नाम सर्वश्री गुरुदास दासगुप्ता और अर्जुन चरण सेठी के नामों से ऊपर प्रदर्शित किया जाता।

इस संदर्भ में मैं माननीय सदस्यों का ध्यान निर्देश सं. 42 की ओर भी आकृष्ट कराना चाहती हूं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान भी किया गया है कि जब कार्य सूची में कई सदस्यों के नाम में रखा हुआ कोई प्रस्ताव, उन सदस्यों द्वारा अध्यक्ष को लिखित रूप से सूचना देने पर प्रस्तुत समझा जाये; तो उसे उस सदस्य द्वारा प्रस्तुत समझा जायेगा, जिसका नाम कार्य-सूची में पहले आता हो और यदि वह सभा में उपस्थित न हो या उसने प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के अपने अभिप्राय की सूचना न

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

दी हो, तो दूसरे या तीसरे आदि सदस्य द्वारा, जो कि उपस्थित हो और केवल उसी सदस्य का नाम, यथास्थिति, उस प्रस्ताव, के प्रस्ताव के रूप में कार्यवाही में दिखाया जाएगा।

निर्देश 42 को देखते हुए संशोधन संख्या 1279, जोकि संशोधन संख्या 1165 के समरूप है, को श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत किया माना जाएगा। क्रम संख्या 1165 और 1279 पर प्रदर्शित पर्चियों, जो इस संशोधन के संदर्भ में अन्य सदस्यों द्वारा भेजी गयी थी, पर विचार नहीं किया जाएगा।

अब मैं धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधनों को सभा के मतदान हेतु रख रही हूं। क्या मैं सभी संशोधनों को सभा के मतदान हेतु एक साथ रखूं?

कुछ माननीय सदस्य: नहीं।

अध्यक्ष महोदया: आप लोगों को इस पर आपत्ति है? ठीक है। श्रीमती सुषमा स्वराज।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, मैं संशोधन (1) जो एक नंबर सूची में प्रकाशित है, प्रस्तुत करती हूं। सामान्यत: महामहिम राष्ट्रपति जी को भेजे जाने वाला धन्यवाद प्रस्ताव संशोधनों के साथ पारित नहीं होता है लेकिन अगर परिस्थिति असमान्य हो जाय तो इस विधा का उपयोग करना पड़ता है। इस बार भी एक ऐसी असाधारण परिस्थिति निर्मित हुई है कि मुझे लोक सभा की नियमावली के नियम 18 का उपयोग करना पड़ रहा है। मैंने एक ही संशोधन पेश किया है, जो आपके सामने अभी प्रस्तुत किया है। हमारे संविधान का ढांचा कुछ बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। उन बुनियादी तत्वों की जब गणना की जाती है तो संघीय ढांचा प्रमुखता से आता है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अनेकानेक निर्णय देकर यह कहा है कि देश के बुनियादी तत्वों से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि यह सरकार जब से आई है, बार-बार अलग-अलग तरीके से देश के संघीय ढांचे पर प्रहार कर रही हा, उसके साथ छेड़छाड़ कर रही है।...*(व्यवधान)* हमने अलग से चर्चा मांगी है।...*(व्यवधान)* हमने केन्द्र राज्य संबंधों पर अलग से चर्चा मांगी है। बी.ए.सी. में चर्चा तय भी हो गई है इसलिए उन तमाम उदाहरणों और प्रसंगों को हमारी तरफ से उस समय प्रस्तुत किया जाएगा जब केन्द्र राज्य संबंधों पर चर्चा करेंगे। आज मैं चर्चा का फलक लंबा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे केवल संशोधन पर बोलना है। मैं अपनी बात संशोधन तक ही सीमित रखूंगी और कहूंगी कि एन.सी.टी.सी. कर गठन इस सरकार की एक ताजा मिसाल है जिसने संघीय ढांचे पर प्रहार किया है। मेरे पास 3 फरवरी, 2012 का आर्डर है जिसमें संविधान की धारा 73 से शक्तियां लेते हुए इस सरकार ने एक आफिस मेमोरेंडम जारी किया, इसको कहा गया-

[अनुवाद]

"राष्ट्रीय आतंकवादरोधी केन्द्र (संगठन कार्य, शक्तियां और दायित्व) आदेश, 2012"।

[हिन्दी]

मैं केवल इसका 3.1 और 3.2 एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ना चाहती हूं।

[अनुवाद]

"पैरा 3.1 और 3.2: एन.सी.टी.सी. के निदेशक विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 2(ई) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी के रूप में निर्दिष्ट होंगे। एन.सी.टी.सी. के परिचालन खण्ड के अधिकारियों को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 43ए के तहत गिरफ्तार करने और तलाशी लेने की शक्तियां प्राप्त होंगी।"

[हिन्दी]

इससे दो प्रश्न उभरते हैं, पहला है कि एन.सी.टी.सी. का गठन इन्टेलीजेंस ब्यूरों में किया जा रहा है। एक गुप्तचर एजेंसी को एक जांच एजेंसी बनाया जाय, यह अपने आप में, न्यायिक व्यवस्था में विकृति पैदा करता है। लेकिन आप उन्हें इतनी बृहद शक्तियां दे दें, पावर टू सर्च पावर टू अरेस्ट, जो काम कानून के नीचे राज्य और राज्य सरकारों का है। आप कहते है कि डायरेक्टर्स और सारे एन.सी.टी.सी. के अफसर पावर आफ सर्च, पावर आफ अरेस्ट रखेंगे, क्या यह सीधे-सीधे संघीय ढांचे पर अतिक्रमण नहीं है?...*(व्यवधान)*...क्या यह राज्य के अधिकारों का हनन नहीं है। जैसे ही यह आर्डर जारी हुआ, उसके बाद एक